स्मरण–पत्र/
अतिआवश्यक

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

विषयः–वित्तीय वर्ष 2018–19 की सम्पत्ति के विवरण बाबत्।

संदर्भः–इस विभाग की समसंख्यक अशा0 टीप दिनांक 22.02.2019.

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित अशा0 टीप द्वारा अवगत करवाया गया था कि, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आचार संहिता के तहत प्रतिवर्ष 31 अगस्त तक मा0 मुख्यमंत्री महोदय द्वारा सम्पत्ति का विवरण मा0 प्रधानमंत्री/गृहमंत्री, भारत सरकार को एवं मंत्रिपरिषद् के सदस्यों द्वारा अपनी सम्पत्ति का विवरण मय पारिवारिक सदस्यों की सम्पत्ति के विवरण के मा0 मुख्यमंत्री महोदय को प्रस्तुत करना आवश्यक है। इस हेतु मा0 मंत्रिगण एवं उनके पारिवारिक सदस्यों की सम्पत्ति का उल्लेख करने हुए वित्तीय वर्ष 2018–19 की सम्पत्ति का विवरण/ब्यौरा SSOID एवं E-mail ID पर upload करते विवरण की हार्ड कॉपी मंत्रिमण्डल सचिवालय को भिजवाने हेतु निवेदन किया गया था।

निवेदन है कि आदिनांक तक उक्तानुसार कार्यवाही की सूचना अप्राप्त है। अतः पुनः अनुरोध है कि कृपया सम्पत्ति का विवरण upload करवाने की कार्यवाही कराते हुए मंत्रिमण्डल सचिवालय को सूचित कराने का श्रम करें।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

6/8/19
(कैलाश चन्द्र गुप्ता)
वरिष्ठ शासन उप सचिव

विशिष्ठ सहायक/निजी सचिव,
समस्त मा0 मंत्रिगण/राज्यमंत्रिगण।

क्रमांक पं.11(1)मं.म./2019,
जयपुर, दिनांकः 6/8/19

प्रतिलिपिः–

1. संयुक्त सचिव (जी.बी.), मुख्यमंत्री कार्यालय।
2. विशिष्ठ सहायक/निजी सचिव, मा0 उपमुख्यमंत्री महोदय।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव।

वरिष्ठ शासन उप सचिव